—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 17/2022

उनवान

1. लक्ष्मण
2. सुवा
3. श्रवण
4. तेजा
5. मोती पि. बालू
6. कंवरी पत्नी मादू
7. रामकिशोर
8. महेन्द्र
9. सेठा
10. सन्तोष पि. मादू समस्त जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. हंसराज पुत्र कामड
2. प्रहलाद दत्तक पुत्र रामा समसत जाति जाचक निवासी ग्राम फारकिया, नसीराबाद
3. उप पंजीयक, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

———— प्रतिवादीगण :— 1 से 2 अनुपस्थित
3से 4 जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 10.1.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फारकिया के [illegible]साला खसरा नम्बर 1790 रकबा 1—5—0 के वंर्किंग खसरा नम्बर 2196 रकबा 1—5—0 के हाल खसरा नम्बर 3110 रकबा 0.21 की आराजी वादीगण की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की है। उक्त आराजी राजू पुत्र छीतर द्वारा वादीगण के पूर्वज बालू पुत्र काना को 300/ रुपये में बैचान कर कब्जा सौंप दिया था। विक्रेता राजू की मृत्यु हो गयी जिसके वारिस कामड व रामा की भी मृत्यु हो गयी है। कामड का वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व रामा का वारिस प्रतिवादी संख्या 2 है। क्रेता बालू की मृत्यु हो गयी जिसके वारिस वादीगण है। आराजी मुतनाजा क्रेता बालू के नाम [illegible] उसकी मृत्यु के बाद वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से [illegible] 1 की माता कमला के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादी[illegible] के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित करने पर आमादा है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम की नही गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विकय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वार प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 1790 रकबा 1–5–0 की आराजी राजू पुत्र छीतर ने बालू पुत्र. काना को दिनांक 15.05.1969 को जरियें पंजीबद्व विकय पत्र विकय की। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में उक्त आराजी विकेता राजू पुत्र छीतर के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्सा रामा पुत्र रूपा, हीरा पुत्र हरिराम व काना पुत्र रतना के नाम दर्ज है। अन्य खातेदार द्वारा भूमि विकय नही की गयी है। अर्थात वादीगण के पूर्वज बालू पुत्र काना ने उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा कय किया। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 1790 के वंर्किग खसरा नम्बर 2196 रकबा 1–5–0 बने है जो वंर्किग जमाबंदी में कमला पत्नी रामा व राजू पुत्र छीतर के नाम दर्ज था जिसे कांट कर पूर्ण आराजी खाता संख्या 250 में कमला पत्नी रामा के नाम अंकित है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 3110 रकबा 0.21 बने है। आधार जमाबंदी के खाता संख्या 15 में हाल खसरा नम्बर 3110 कमला पत्नी रामा के नाम दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त आराजी राजू पुत्र छीतर द्वारा वादीगण के पूर्वज बालू पुत्र काना को 300/ रूपये में बैचान कर कब्जा सौप दिया था। विकेता राजू की मृत्यु हो गयी जिसके वारिस कामड व रामा की भी मृत्यु हो गयी है। कामड का वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व रामा का वारिस प्रतिवादी संख्या 2 है। किन्तु इसी जमाबंदी के खाता संख्या 16 में राजू पुत्र छीतर का वारिस हंसराज पुत्र कामड, जीवणी पत्नी कामड व रामा पुत्र रूपा की वारिस कमला को बताया है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज ने आराजी मुतनाजा मात्र राजू पुत्र छीतर से ही कय की हे जिसकी वारिस उसकी पत्नी व प्रतिवादी संख्या 1 है तथा हाल जमाबंदी में दर्ज खातेदार कमला पत्नी रामा विकेता की वारिस नही है किन्तु चौसाला जमाबंदी में उकत आराजी विकेता के नाम भी 1/2 हिस्सा दर्ज थी अतः वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा राजू पुत्र छीतर द्वारा कय किया जाना सिद्व होता तत्कालीन खातेदार द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिये जाने से उनके खातेदारी अधिकरो का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर वाद का खण्डन नही किया है। विकय पत्र पंजीबद्व है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है।

उक्तानुसार ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 3110 रकबा 0.21 की आराजी पर वादीगण का वाद "**आंशिक स्वीकार**" किया जाकर वादीगण को उक्त आराजी पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार ... उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करें। ... इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लक्ष्मण बनाम हंसराज

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 17/2022
पेश करने की दिनांक – 25.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–द हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 3110 रकबा 0.21 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 1 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:21 IST
Reason: SelfAttested